

## प्रेस नोट

थाना बरुआसागर, जनपद झाँसी

दिनांक - 22.11.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- पोक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार,
- थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 22.11.2025 को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग के मु0अ0सं0- 275/25 धारा 65(1)/75(2)/351(3) बीएनएस व ¼ (2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त - हरभजन पुत्र स्व० बाबूलाल उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी- ग्राम सिनौनिया खास, थाना- निवाड़ी, जनपद- निवाड़ी(म०प्र०) को सकरी पुलिया के आगे कट के पास थाना- बरुआसागर, जनपद- झाँसी से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

### अभियुक्त का विवरण -

हरभजन पुत्र स्व० बाबूलाल उम्र करीब 50 वर्ष नि० ग्राम सिनौनिया खास थाना निवाड़ी जिला निवाड़ी(म०प्र०)

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बरुआसागर झाँसी
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बरुआसागर झाँसी
3. का0 356 शुभम थाना बरुआसागर झाँसी।